

संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एसआईसी/104/5/2023

Ref: IRDAI/NL/CIR/SIC/104/5/2023

दिनांक/Date: 15-05-2023

**परिपत्र  
Circular**

**सभी साधारण बीमाकर्ता (ईसीजीसी लि., एआईसी लि. और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर)**

**All General Insurers (Except ECGC Ltd, AIC Ltd and Stand Alone Health Insurers)**

**विषय: प्रतिभू बीमा दिशानिर्देशों का आशोधन**

**Re: Modification of Surety Insurance Guidelines**

1. उक्त विषय पर आईआरडीएआई, (प्रतिभू बीमा संविदाएँ) दिशानिर्देश, 2022 सन्दर्भ सं आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/एसआईसी/01/01/2022 दिनांक 3 जनवरी 2022 (इसके बाद प्रतिभू दिशानिर्देशों के रूप में उल्लेखित) के अनुसार जारी किये गए थे/ इसके उपरांत, परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एनएल/परिपत्र/विविध/7/1/2023 दिनांक 12 जनवरी 2023 जारी किये गये।

On the subject, the IRDAI (Surety Insurance Contracts) Guidelines, 2022 were issued vide Ref No. IRDAI/NL/GDL/SIC/01/01/2022 dated 3<sup>rd</sup> January, 2022 (hereafter referred as Surety Insurance Guidelines). Further, Circular No. IRDAI/NL/Cir/Misc/7/1/2023 dated 12<sup>th</sup> January, 2023 was issued.

2. प्राधिकरण ने प्रतिभू बीमा दिशानिर्देशों की समीक्षा की है तथा इनमें प्राधिकरण निम्नलिखित संशोधन करता है:

The Authority has reviewed Surety Insurance Guidelines and makes the following revisions:

क. खंड 6.1 (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है

a. Clause 6.1 (a) replaced with the following

“प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर से अन्यून शोधन-क्षमता मार्जिन बनाये रखने की अपेक्षा पूरी करना। बशर्ते कि जहाँ बीमाकर्ता का शोधन-क्षमता मार्जिन किसी भी समय उक्त विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से नीचे आता है, तो बीमाकर्ता तब तक नए प्रतिभू बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन रोक देगा जब तक उसका शोधन-क्षमता मार्जिन उक्त न्यूनतम सीमा से अधिक तक पुनःस्थापित नहीं किया जाता।

“Meeting the requirement of maintaining a solvency margin of not below the control level of solvency specified by the Authority. Provided that where the solvency margin of the insurer falls below the specified threshold limit at any point of time, the insurer shall stop underwriting new Surety Insurance business until its solvency margin is restored to above the threshold limit.”



- ख. खंड 6.4 (घ) ('गारंटी की सीमा संविदागत मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी') को हटाया गया है।
- b. Clause 6.4(d) ('The limit of guarantee shall not exceed 30 percent of the contract value') is deleted
3. इस परिपत्र में उल्लिखित प्रतिभू बीमा दिशानिर्देश, 2022 और आईआरडीएआई परिपत्र सन्दर्भ आईआरडीएआई/एनएल/परिपत्र/विविध/7/1/2023 दिनांक 12.01.2023 के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।  
All other provisions of the within referred Surety Insurance Guidelines, 2022 and IRDAI Circular Ref: IRDAI/NL/Cir/Misc./7/1/2023 dated 12.01.2023 shall remain unaltered.
4. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।  
This circular shall come into force with immediate effect.

D-28(1) 2/12

(ए. रमण राव/A. Ramana Rao)

**मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)/Chief General Manager (Non-Life)**